



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2901]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/श्रावण 05, 1940

No. 2901]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 05, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

सं. 64 /2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3687(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 158 की उपधारा (2) के उपवाक्य (i) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, लेवी ऑफ फीस (कस्टम्स डॉक्युमेंट्स) रेगुलेशन, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. (1) इन विनियमों को लेवी ऑफ फीस (कस्टम्स डॉक्युमेंट्स) अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. इन विनियमों में, विनियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को जोड़ा जाएगा, यथा:-

“विनियम 5. कतिपय मामलों में एक्सपोर्ट मेनिफेस्ट में संशोधन— इन विनियमों के अंतर्गत किसी एक्सपोर्ट मेनिफेस्ट में उस समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जब इनलैंड कंटेनर डिपो में 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक दायर किए गए शिपिंग बिल की प्रविष्टियों को लेकर ऐसे मेनिफेस्ट में कोई संशोधन किया जाता है या इसमें और कुछ जोड़ा जाता है”.

[फा. सं. 450/198/2015-सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान विनियमावली को का. आ. 4018, दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (ii) में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 जिसे सा. का. नि. 1156 (अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

No. 64/2018-Customs (N.T.)

S. O. 3687(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 157, read with clause (1) of sub-section (2) of section 158, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Levy of Fees (Customs Documents) Regulations, 1970, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Levy of Fees (Customs Documents) Amendment Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said regulations, after regulation 4, the following regulation shall be added namely:-

“Regulation 5. Amendment of Export manifest in certain case— No fees shall be levied under these regulations in respect of an export manifest when the manifest is amended or supplemented with entries relating to the Shipping bills filed from 1st July, 2017 to 30th June, 2018 in Inland Container Depots.”

[F. No. 450/198/2015-Cus.IV (pt)]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note: The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 4018, dated the 26th December, 1970 and was last amended *vide* notification number 36/2017-Customs (N.T.) dated the 11th April, 2017 published *vide* number G.S.R. 1156 (E) dated the 11th April, 2017.